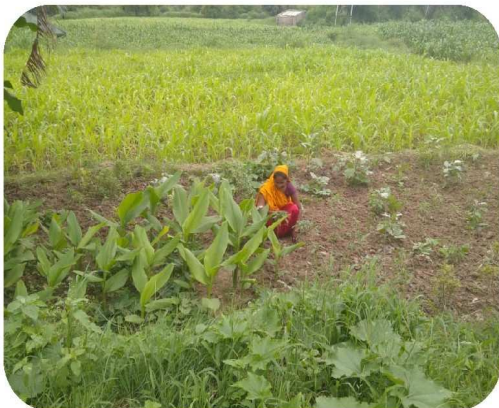


ANNUAL REPORT

2023-2024



astha

आस्था संस्थान की 37वीं वार्षिक रिपोर्ट आप सभी को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वर्ष 2023 आस्था और हम सभी के लिए चुनौतियों भरा रहा, लेकिन आप सभी के सहयोग से कुछ हद तक इन चुनौतियों एवं संकट से आगे निकलने के प्रयास हुए हैं। हमें आशा है कि आने वाले समय में हम इस संकट से उभर पायेंगे।

वर्ष 2023 अप्रैल से दिसम्बर 2023 तक आस्था अपने कार्यों को आदिवासी विकास संदर्भ इकाई एव महिला सशक्तीकरण संदर्भ इकाई के तहत आयोजना अनुसार कर पायी। इसी के तहत आदिवासी क्षेत्र के जन संगठनों के मुद्दों, ग्रामसभाओं के साथ गांव विकास आयोजना कर पंचायतों में (GPDP) में शामिल करवाना एवं क्रियान्वयन करवाना, सामुदायिक वन प्रबन्धन का कार्य ग्रामसभाओं के साथ आगे बढ़ाना व सरकार के साथ लगातार संवाद कर सामूहिक वन प्रबन्धन, नरेगा, सामाजिक सुरक्षा की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचित समूहों को दिलाने में कार्य करते रहे। महिलाओं के मुद्दों पर महिला भूमि अधिकार, महिला किसान की पहचान बनाने, जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर कार्य किया गया।

आस्था का वर्ष 2023 में एक नया (Initiative) प्रयास संवैधानिक मूल्यों को लेकर दक्षिणी राजस्थान के चार जिलों में आदिवासी एवं दलित समुदाय के आजीविका के संसाधनों को लेकर Perspective Build करने का शुरू किया, जिसके तहत उनके मुद्दों के साथ संवैधानिक मूल्यों के आधारित समाज का निर्माण करना जिसमें संवैधानिक मूल्यों को अंगीकार करने का प्रयास शुरू हो सके, समाज में समानता न्याय बंधुता कायम हो। संवैधानिक मूल्यों का अपने जीवन में क्या महत्व है वे समझ सके यह कार्यक्रम फैलोशीप के रूप में शुरू किया गया। जो आस्था वर्तमान में इसे चार जिलों में संचालित कर रही है। इसका सहयोग अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन से मिला है।

30 दिसम्बर, 2023 को एफसीआरए के डिनॉय होने पर विदेशी अनुदान से संचालित सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध हो गया। आस्था के लिए यह बड़ा संकट था इसके बाद आस्था के साथ जुड़े जन संगठनों के साथ इस पर संवाद, चर्चाएं की गईं। सभी जन संगठनों के संचालक मण्डल, नेतृत्वकर्ताओं के सामने इस परिस्थिति को रखा गया, उनके सुझाव बहुत ही सकारात्मक आये और हमें भी बल प्रदान किया। सभी ने कहा कि हम संगठनों को जिंदा रखेंगे। आस्थाकी शुरु से सोच थी कि जन संगठन स्वतंत्र एवं आत्म निर्भर बने, हमारे लिए यह एक अवसर है। हम संगठनों के मुद्दों पर कार्य भी करेंगे एवं संगठनों को टिकाये रखेंगे। आस्था के साथ जन संगठनों का संबंध बना रहेगा। लम्बे समय तक आस्था ने जन संगठनों के साथ कार्य किया है। वर्तमान संकट में आस्था वित्तीय सहयोग नहीं दे पायेगी लेकिन आस्था के अनुभवों, सलाह एवं मागदर्शन का उपयोग संगठन करेंगे।

लोगों का जुड़ाव संगठन से है, उनकी समस्याओं का समाधान वे संगठन के साथ जुड़कर ही कर पायेंगे, उन्हें आशा है कि संगठन के नेतृत्वकर्ता संचालक मण्डल सदस्यों का मानना था कि वे आस्था के साथ संबंध बनाये रखेंगे।

आस्था को वर्तमान संकट से उबर कर रि-बिल्ड करना है। आस्था के साथ कार्यों और अनुभवों का इतिहास है, इसको मददेनजर रखकर वर्तमान परिस्थितियों में आस्था के विजन को नये सिरे से देखने की आवश्यकता है। आस्था क्या करें जो इस क्षेत्र की आवश्यकताएं हैं एवं पूर्व के कार्यों से आगे की प्रक्रिया हो ताकि आस्था अपनी पहचान बनाये रखकर एक टिकाऊ प्रक्रिया अपना सके जो आस्था को नई ऊर्जा प्रदान कर सके। जन संगठनों को लेकर जो सपना आस्था ने देखा वो भावी पीढ़ी के लिए ऐसे समाज की रचना करने में कार्य करें, जहां किसी तरह का भेदभाव (जाति, वर्ग, लिंग) नहीं हो। समाज में आपसी सौहार्द्र सामंजस्य का वातावरण बने, सामुहिकता, भागीदारी, जवाबदेही कायम हो, सभी एक दूसरे से प्रति सहयोगी एवं संवेदनशील बने, वंचित समुदायों, महिलाओं को सम्मान के साथ बराबरी का दर्जा मिले।

युवाओं का जुड़ाव समाज के साथ हो और उनकी ऊर्जा का उपयोग समाज के विकास में रचनात्मक तरीके से कर सके, इसी सपने को जिंदा रखने के लिए आस्था जैसी अनेक सवैच्छिक संस्थाएं इन सामाजिक मूल्यों की स्थापना में अपनी उर्जा लगाये हुए हैं। आस्था भी चुनौतियों से उभरकर समानता आधारित समाज निर्माण में अपनी शक्ति लगाने की सोच रखती है।

आस्था का विश्वास लोगो में है। हम हमारा विश्वास कायम रखेंगे, चुनौतियों से उबरकर नया रास्ता खोजना ही हम सबकी सामुहिक जिम्मेदारी है। आशा है आप सभी का साथ, सहयोग और विश्वास आस्था में कायम रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपके सुझाव हमें चुनौतियों से उभरने में सहायक रहेंगे।

आस्था संस्थान

आस्था संस्थान का कार्य वर्ष 2023 में आदिवासी विकास संदर्भ इकाई एवं महिला सशक्तीकरण संदर्भ इकाई के द्वारा किया गया जिसमें आदिवासी क्षेत्र के विकास के मुद्दों को आदिवासी विकास संदर्भ इकाई द्वारा आगे बढ़ाया गया एवं एकल महिलाओं के मुद्दों पर महिला सशक्तीकरण संदर्भ इकाई ने कार्य किया। आस्था ने दोनों संदर्भ इकाई से जुड़े आदिवासी एवं महिला जन संगठनों को उनके मुद्दों पर सहयोग प्रदान किया उनके नेतृत्व की क्षमतावर्धन का कार्य किया। जिससे वे स्वतंत्र रूप से अपने समुदाय आधारित संगठन के मुद्दे आगे ले जा सकें तथा संगठन को मजबूत बनाने उनका नेतृत्व, परिपक्व बने इसकी लगातार कोशिश की गयी है।

वर्ष 2023 अप्रैल से दिसम्बर तक विभिन्न दानदात्रि संस्थाओं के सहयोग से चलने वाली गतिविधियां की गयी। दिसम्बर, 30 को आस्था के एफसीआरए डिनॉय होने पर जन संगठनों के स्तर पर स्वैच्छिक गतिविधियां जो वे कर सकते थे वो जारी रही।

आस्था का आदिवासी विकास संदर्भ इकाई का कार्य दक्षिणी राजस्थान के चार जिलों में 475 गांव सभाओं के साथ संचालित किया जा रहा है। आदिवासी विकास संदर्भ इकाई का उद्देश्य समुदाय आधारित जन संगठनों को सहयोग प्रदान करना ताकि उनके मुद्दों को वे आगे बढ़ाकर समाधान कर सकें। उनका नेतृत्व स्वतंत्र रूप से संगठन का कार्य कर सकें इसके लिए उसका क्षमतावर्धन करना, ताकि वे मजबूती से संगठनों का कार्य भी करें व मुद्दों को लेकर समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकें।



आदिवासी विकास संदर्भ इकाई, आदिवासी स्वशासन (पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम) को लागू करवाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी तरह वन अधिकार कानून को क्रियान्वयन करवाने, वन प्रबन्धन व वन संरक्षण का कार्य कर रही है। जिससे उनकी आजीविका का संरक्षण हो सके व वन संरक्षण भी हो सके। इस वर्ष के कार्यों में मुख्य आधार बिन्दु इस प्रकार है—

- जन संगठनों के नेतृत्व की क्षमता बढ़ाना ताकि वे परिपक्वता से जन संगठन का कार्य को आगे बढ़ा सकें व वैकल्पिक नेतृत्व तैयार हो सकें।
- समान विचार वाली संस्थाओं, समूहों के साथ अभियान में शामिलकर होकर गरीबों के पक्ष में नीति बदलाव कर सकें आदिवासियों के पक्ष के बने कानूनों को बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार एवं विभागों के स्तर पर सतत संवाद कायम करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। इसके लिए समय-समय पर आदेश निकलवाना एवं क्रियान्वयन करवाने के कार्य अन्य संस्थाओं,

संगठनों व अभियानों के साथ किया गया ताकि वंचित समुदायों को इन कानूनों को समुचित लाभ मिल सके।

- क्षेत्र की गांव सभाओं को मजबूत करना ताकि वे सामुदायिक वन प्रबन्धन का कार्य गांव स्तर पर बेहतर तरीके से कर सके। गांव सभा वन संरक्षण, वन प्रबन्धन, उपयोग एवं विकास कर वन क्षेत्र का संरक्षण करें जिसे उनकी आजीविका का संरक्षण हो।
- आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं को नरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करके आवेदन करवाने एवं काम का पूरा दाम लेने नपती व्यवस्था लागू करवाने के कार्य में लोगों को प्रशिक्षण देकर किये गये ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को नरेगा कार्य में उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके।

आस्था द्वारा उदयपुर डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं पाली में 475 गांवों में पेसा कानून के तहत गांव की गांवसभाओं के साथ गांव विकास आयोजना तैयार कर पंचायत को प्रस्तुत करना था कोविड के बाद गांव की आर्थिक व्यवस्था में हुए बदलाव के कारण पूर्व में बनाये गये विकास प्लान को रिवाइज कर उसमें वंचित समुदायों, प्रवासी श्रमिकों, एकल नारी, विशेष योग्यजनों को जोड़कर व्यक्तिगत एवं सामुदायिक विकास के कार्यों की रिवाइज आयोजना बनाकर पुनः पंचायतों को प्रस्तुत की गयी।



वर्ष 2023-24 में आयोजना के अनुसार 475 गांवों में से 452 गांवों ने अपने गांव के रिवाइज विकास प्लान की आयोजना बनाकर पंचायतों को प्रस्तुत कर दी गयी है। इसके अनुसार 95 प्रतिशत कार्य दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण कर लिया गया। रिवाइज विकास प्लान में महिलाओं से जुड़े मुद्दे स्वास्थ्य, सामाजिक समावेश, विशेष योग्यजन के लिए एवं एकल महिलाओं के मुद्दों, पेंशन, पालनहार, खाद्य सुरक्षा के जोड़े गये। घरेलू हिंसा, बाल विवाह जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से जोड़े गये व आयोजना के अनुसार गांव सभा में बहुत से मुद्दों पर स्वयं उन्हें कार्य करना था जैसे महिलाओं पर घरेलू हिंसा, बाल विवाह रोकथाम, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, स्कूल व्यवस्था में एस.एम.सी. को सक्रिय करना, गांव में सबसे कमजोर परिवारों, प्रवासी श्रमिकों की पहचान कर उनके लिए आयोजना में जोड़कर उन्हें रोजगार से जोड़ने जैसे मुद्दों पर गांव सभाओं के साथ समग्र विकास का प्लान तैयार कर पंचायतों को सौंपा गया। तथा जिन मुद्दों पर गांवसभा को स्वयं कार्य करना था वो स्वयं करने लगी।

वन अधिकार कानून के तहत इस वर्ष सामूहिक प्रयासों व सरकार के साथ लगातार संवाद से सामुदायिक वन अधिकार का मुद्दा सरकार के स्तर पर भी प्राथमिकता में आया जन जाति विकास विभाग के स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन हुआ अप्रैल, 2023 से जून, 2023 तक उदयपुर जिला कलक्टर ने आदेश निकालकर सामुदायिक वन अधिकार के दावे लेने का अभियान चलाकर समय निर्धारित किया। इस प्रक्रिया को उदयपुर जिला कलक्टर द्वारा



मजबूती प्रदान की गयी तथा 600 गांवों के सामुदायिक वन अधिकार के दावे तैयार कर जिला स्तर पर आये इसमें से सबसे अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्र, झाड़ोल एवं कोटड़ा क्षेत्र से तैयार कर जिला स्तर पर भेजे गये। आस्था का वर्ष 2021 से 2024 मार्च तक 250 गांवों का सामुदायिक वन प्रबन्धन को मजबूत करने का प्लान था। उसमें से आस्था ने 218 गांवों के सामुदायिक वन अधिकार के प्लान तैयार कर लिये इस तरह 87 प्रतिशत कार्य दिसम्बर, 2023 तक पूरा कर लिया गया। आस्था द्वारा प्रत्येक गांव में वन प्रबन्धन समितियों का गठन कर 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की वन प्रबन्धन समितियों द्वारा वन प्रबन्धन के लिए गांवसभा के साथ सुरक्षा एवं उपयोग के नियम बनाकर क्रियान्वयन का कार्य आगे बढ़ाया, वन विभाग के सहयोग से पौधा रोपण किया जिससे वन विकास की प्रक्रिया को बल मिला, गांव सभाओं द्वारा वन सुरक्षा व वन प्रबन्धन वन अधिकार कानून के तहत हाथ में लेने के बाद वन विभाग की दखलंदाजी कम हुई व लोगों का वनों के साथ जुड़ाव बढ़ने लगा।

आस्था गांवसभाओं के रिवाईज प्लान में महिलाओं को आवेदन के अनुसार नरेगा के तहत काम मिले व काम का पूरा दाम मिले। आस्था और अन्य संस्थाओं के सामूहिक प्रयासों से नरेगा में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन एवं मेटों का प्रशिक्षण किया गया। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन मेटों को नपती आधारित व्यवस्था लागू कर पूरे काम का पूरा दाम दिलाने में मदद करें, दूसरा कार्य ब्लॉक रिसोर्स पर्सन का सामाजिक अंकेक्षण का था। इस प्रक्रिया को सरकार के साथ संवाद कर जून 2023 से अगस्त, 2023 तक अभियान चलाया गया। इसके सकारात्मक परिणाम हुए ग्रामसभाओं में बड़ी तादाद में महिलाएं आयी। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया की गयी लेकिन सचिवों एवं सरपंचों ने बहुत अधिक सहयोग नहीं दिया फिर भी काफी मुद्दे नरेगा एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े आये और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन द्वारा ऊपरी स्तर पर भिजवाये।

नरेगा में महिलाओं को ऑनलाईन हाजरी उपस्थिति भेजने में नई व्यवस्था कायम हुई जिसमें मेटों को समझने में समय लगा लेकिन यह व्यवस्था अनिवार्य करने से बाद में चलने लगी।

आस्था का 60,000 महिलाओं को उनकी आजीविका के लिए नरेगा कार्यों से रोजगार उपलब्ध करवाने का टारगेट रखा था। वर्ष 2023 के दिसम्बर माह तक 54,394 महिलाओं को नरेगा में रोजगार से जोड़ने में कार्य हो पाया इस तरह वर्ष 2023 के तक हमने हमारे टारगेट पूरे कर लिये जो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में है।

सामाजिक सुरक्षा के तहत चारों क्षेत्रों में 2014 परिवार जो राशन से वंचित हो रहे थे उन्हें राशन उपलब्ध करवाने में आवश्यक कार्यवाही कर ग्रामसभा पंचायत एवं उपखण्ड स्तर तक समस्या उठाकर राशन दिलाने में सहयोग किया।

पेंशन से वंचित होने वाले 4664 लोगों को पेंशन दिलाने के कार्यों में ग्रामसभा के माध्यम से पंचायत व पंचायत समिति स्तर की कार्यवाही करवाकर सहयोग किया 277 परिवारों को पालनहार योजना का लाभ दिलाने में मदद की गयी।

उपरोक्त कार्यों में लगातार सरकारी विभागों के साथ नेतृत्वकर्ताओं ने संवाद कर वंचित लोगों को इन सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा।

- वर्ष 2022-23 तक की सरकारी लोगों में लोगों को सहयोग करने में कोविड का बहाना लिया जाता रहा।
- नरेगा कार्यों में काम मांगने की रसीद नहीं देने की समस्या अब तक चली आयी है।
- सरकार के पोर्टल बंद होने से राशन से वंचित परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने में चुनौतियां आयी।
- सामुदायिक वन प्रबन्धन को लेकर जनजाति विकास विभाग एवं सचिवालय तक संवाद से यह मुद्दा सरकार के स्तर पर विशेष अभियान के लिए अजेण्डे में आया।
- सरकार के ब्लॉक एवं जिला स्तर के विभागों में साथ लगातार चर्चा से विभिन्न कल्याणकारी योजना का लाभ वंचित परिवारों को मिल सका।

नरेगा एवं अन्य सरकारी योजनाओं को लेकर बी.आर.पी के द्वारा आयोजित सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया कई जगह प्रभावशाली तरीके से आयोजित हुई हालांकि पंचायत कर्मचारियों, सरपंचों का वांछित सहयोग नहीं मिल सका।

आदिवासी संदर्भ इकाई द्वारा संचालित कार्यक्रम के संकेतक (Indicator) दिसम्बर, 2023 तक 95 प्रतिशत हासिल कर लिये गये इसके साथ जो प्रभाव समुदाय के स्तर पर देखने को मिला वो इस प्रकार है।

1. 475 गांवों में सामुदाय स्तर पर शांति समितियों के काम से गांवसभा स्तर के विवादों का हल होने लगा आपसी विवाद लेकर पुलिस केस में बहुत बड़ी कमी आयी। मौताणा जैसे मुद्दे पर लोगों ने शांतिपूर्ण हल निकालने की पेशकश कर सुलझाने के प्रयास किये।
2. गांव स्तर पर स्कूल और आंगनवाड़ी की संबंध में मोनिटरिंग शुरू हुई। स्कूल ठीक से नहीं चलने पर गांव सभा के लोग प्रश्न पूछने लगे व आंगनवाड़ी केन्द्र में पोषाहार वितरण कुपोषित बच्चों के इलाज आदि में स्वास्थ्य विभाग से तालमेल बिठाकर कार्य किया।
3. वन उपज का उपयोग शहद कलेक्शन सीताफल जामुन आदि लोग स्वतंत्र रूप से बाजार में लेकर बेचने लगे जिससे उनकी आमदनी बढ़ी, शहद का सामुदायिक रूप से कार्य आगे बढ़ने से भी उन्हें फायदा हुआ।
4. कृषि विकास में कुछ गांवों में जैविक खेती परम्परागत बीज का उपयोग शुरू हुआ, लोगों की समझ प्राकृतिक खेती की है जिसमें उन्होंने पुनः शुरू की।
5. 1529 आदिवासी महिला नेतृत्वकर्ता द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, शांति समिति वन प्रबन्धन कमेटी और गांवसभा स्तर पर अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू की। वे सभी तरह के निर्णयों में भागीदारी निभाने लगी।
6. गांव स्तर के नेतृत्वकर्ता सी.बी.ओ. के सामूहिक मुद्दों को लेकर ब्लॉक जिला एवं राज्य स्तर पर अभियानों में भागीदारी निभाने लगे।
7. आस्था के वर्ष 2023 में हुए मूल्यांकन (External Evaluation) में यह सकारात्मक पहलु उभरा कि आस्था गांव स्तर पर सामुदायिक सशक्तीकरण एवं विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों कानूनों का क्रियान्वयन मोनिटरिंग करने के साथ राज्य स्तर पर लगातार संवाद कर पेसा, वन अधिकार एवं अन्य सामाजिक कल्याण की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने में प्रभावी भूमिका निभा रही है। जिससे गांवसभाओं के स्तर पर उर्जा बनी हुई है। यह भूमिका आस्था आगे भी निभाएंगे।
8. गांवसभाओं एवं पंचायतों के साथ अपने विकास प्लान को लेकर लगातार संवाद से सकारात्मक विकास कार्य गांव विकास योजना का बेहतर क्रियान्वयन संभव हो पाया है। एक सकारात्मक वातावरण बना है कि गांव स्तर पर समग्र विकास प्लान पंचायत के प्लान में जुड़ने से पंचायतों को अपने प्लान बनाने में सहयोग मिला है, उसमें स्वीकृति के बाद क्रियान्वयन में भी गांवसभाओं की प्रभावी भूमिका रही है।

क्रम	गतिविधियां	सहभागी		
		पुरुष	महिला	योग
1.	1 कार्यशाला ग्राम विकास आयोजना अनुगमन	45	44	89
2.	1 मुद्दा आधारित गतिविधि	16	6	22
3.	1 आदिवासी नेतृत्व बैठक	16	6	22
4.	3 कलस्टर स्तर कार्यशाला गांव विकास आयोजन अनुगमन	57	76	133
5.	5 ब्लॉक स्तरीय संवाद गांव विकास आयोजना क्रियान्वयन	69	108	177
6.	30 ब्लॉक स्तरीय संवाद गांव विकास आयोजना शेयरिंग एवं अनुगमन	591	453	1044
7.	1 ग्रामसभा वार्षिक सम्मेलन	338	762	1100
8.	13 त्रैमासिक बैठकें मुख्य नेतृत्वकर्ताओं की	260	165	425
9.	1 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर प्रशिक्षण	41	43	84
10.	1 जिला स्तरीय संवाद नरेगा के बेहतर क्रियान्वयन हेतु	31	32	53
11.	1 युवा आदिवासी महिला सम्मेलन	4	180	187
12.	5 आदिवासी नेतृत्वकर्ताओं की सामाजिक सुरक्षा योजना पर प्रशिक्षण	183	157	340
13.	11 नरेगा एवं सामाजिक सुरक्षा योजना जागरूकता अभियान	90	48	138
14.	2 ब्लॉक स्तरीय संवाद नरेगा के बेहतर क्रियान्वयन	106	70	176
15.	5 ब्लॉक स्तरीय आदिवासी सम्मेलन	88	599	587
16.	56 कलस्टर स्तर बैठकें महिला लीडर्स	205	1486	1690
17.	1 वन प्रबन्धन पर प्रशिक्षण	38	28	66
18.	1 वन प्रबन्धन आयोजन बैठक	52	35	87
19.	7 वन प्रबन्धन कमेटी प्रशिक्षण	238	153	391
20.	13 वन प्रबन्धन/वन अधिकार पर जागरूकता अभियान	66	44	110
21.	4 ब्लॉक स्तरीय संवाद वन अधिकार मुद्दे पर	293	97	390
22.	31 कलस्टर स्तरीय बैठकें वन प्रबन्धन पर	491	468	959
23.	6 पैरवी एवं नेटवर्किंग ग्राम विकास आयोजना	17	11	28
24.	5 फिल्ड स्तरीय मोनिटरिंग विजिट	11	3	14
25.	7 स्टाफ रिव्यू प्लानिंग बैठकें	61	11	72
26.	41 मासिक स्टाफ बैठकें फिल्ड एवं यूनिट स्तर	251	250	501
27.	1 कार्यक्रम निर्देश समूह बैठक	12	4	16

आस्था संस्थान का अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन के साथ पुर्व में लोकल डेमोक्रेसी कार्यक्रम डूंगरपुर में साढ़े तीन साल तक चलाया गया उसके बाद पुनः वर्ष 2023 में फाउण्डेशन के सिनियर अधिकारियों के साथ वार्ता की गयी एवं अक्टूबर, 2023 से संवैधानिक मूल्यों पर फ़ैलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गयी इसके तहत 40 फ़ैलो 4 जिलों में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक 5 फ़ैलो पर एक मेंटर है कुल 8 मेंटर द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

- मूल्य आधारित समाज के निर्माण के लिए आदिवासी और दलित समुदायों के बीच भूमि, जंगल और जेंडर के मुद्दों पर काम करने के तरीको का उपयोग करके राजस्थान के बांसवाडा, डूंगरपुर, उदयपुर और पाली जिले की संस्कृति एवं संवैधानिक मूल्यों पर परिप्रेक्ष्य बनाने के लिए 40 अध्येताओं का समर्थन करना है।
- संवैधानिक मूल्यों पर समाज में विभिन्न समुदाय के साथ सतत संवाद स्थापित कर व्यापक समझ बनाना जिससे लोगो में संवैधानिक मूल्यों के संबंध में जागरूकता आए एवं लोग स्वयं समुदाय स्तर पर मूल्यों का हनन होने पर पहल कर पाए।

एक प्रक्रिया के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए जिसके तहत फेलोशिप आवेदन के पूर्व विभिन्न संस्थाओं के साथ नियोजन संवाद कर कार्यक्रम हेतु फेलो चयन प्रक्रिया निर्धारित की, जिसमें पेनेलिस्ट द्वारा प्राप्त आवेदन प्रपत्र की छंटनी की गयी। गठित पेनल द्वारा दूरभाष पर संवाद किया गया एवं पेनल द्वारा साक्षात्कार कर फेलो चयन किया गया। चयनीत फेलो का आमुखीकरण किया गया जिसमें—



- सरल तरीके से मूल्यों को समझना जिससे सभी फेलो संवैधानिक मूल्यों को सहज ही समझ पाए।
- अलग-अलग मेथड यथा— भाषण, कहानी, चार्ट, फिल्म, समूह चर्चा आदि के माध्यम से परिप्रेक्ष्य निर्माण।
- आमुखीकरण से फेलो को संवैधानिक मूल्यों को जानना कि जीवन में मूल्यों का महत्व क्या है?
- कार्य करने का तरीका समझा कि कैसे मुद्दों को हल करने के लिए मूल्यों का रास्ता अपनाया जाए।

- मुद्दों की समझ के साथ मूल्यों से जोड़ते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए, इसे समझा गया।

चयनीत फेलोज द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य एवं पोषण, आदिवासी स्वशासन एवं पेसा कानून, फोरेस्ट गर्वनेंस एवं वन अधिकार कानून, रोजगार का अभाव एवं नरेगा, सामाजिक सरोकार, बालश्रम एवं भिक्षावृत्ति, अनुसूचित जनजाति संस्कृति एवं पोक्सो कानून कार्यान्वयन,



दिव्यांग अधिकार, महिला घरेलू हिंसा, एकल-विधवा एवं परित्यक्ता अधिकार, असंगठित क्षेत्र श्रमिक एवं सिलिकोसिस, जनजाति कला एवं संस्कृति संरक्षण एवं कथोड़ी समुदाय विकास जैसे मुद्दों पर अपनी लक्षित ग्राम पंचायत एवं संबंधित राजस्व ग्राम में सकारात्मक पहल शुरू की है।

जिन मुद्दों को फेलो द्वारा चयन कर कार्य शुरू किया है उसकी सूची इस प्रकार है—

01	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव	13
02	स्वास्थ्य एवं पोषण	04
03	आदिवासी स्वशासन एवं पेसा कानून	06
04	वन प्रबन्धन एवं वन अधिकार	05
05	रोजगार का अभाव एवं नरेगा कानून	08
06	सामाजिक सरोकार	04
07	बालश्रम एवं भिक्षावृत्ति	01
08	अनुसूचित जनजाति संस्कृति एवं पोक्सो कार्यान्वयन	01
09	दिव्यांग अधिकार	02
10	महिला घरेलू हिंसा	02
11	एकल नारी-विधवा एवं परित्यक्ता अधिकार	06
12	असंगठित क्षेत्र श्रमिक एवं सिलिकोसिस	02
13	जनजाति कला एवं संस्कृति संरक्षण	02
14	कथोड़ी समुदाय विकास	01

संविधान के अनुच्छेद 21 (क) के तहत राज्य 6—14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सुनिश्चित करेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव के मुद्दे पर 13 फेलो दक्षिणी राजस्थान में कार्यरत हैं। इन फेलो के माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम, 2009 के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति को सक्रिय करने के लिए स्थानीय ग्रामसभा सशक्तिकरण पर कार्य किया जा रहा है जिससे सामुदायिक निगरानी की व्यवस्था कायम हो पाए।

संविधान के अनुच्छेद 13(3)(क) के तहत आदिवासी इलाकों में स्वशासी रूढ़िगत व्यवस्था के प्रावधान हैं वहीं अनुच्छेद 244(1) के तहत पांचवी अनुसूची के प्रावधानों के तहत आदिवासी स्वशासन की व्यवस्था है। इसके तहत फेलो पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 सहित फोरेस्ट गर्वनेंस को लेकर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के धरातलीय कार्यान्वयन को लेकर 11 फेलो ग्रामसभा सशक्तिकरण पर कार्य कर रहे हैं।

अनुच्छेद 21 के तहत ईज्जत से जीने के अधिकार के आलोक में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन को लेकर 8 फेलो कार्यरत हैं। काम मांगो अभियान के तहत समुदाय स्तर पर लोगो से सामूहिक आवेदन करवा लोगो को मजदूरी दिलवाने में मदद कर रहे हैं। नरेगा में सामुदायिक स्तर पर टिकाऊ विकास के कार्य करवाने पर फोकस है।

साथ ही इसी अनुच्छेद 21 के तहत विधवा, परित्यक्ता, एकल महिलाओं के सम्मानपूर्ण जीवन बसर के लिए 6 फेलो ने बीडा उठाया है। ये फेलो अपने कार्यक्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन करके ऐसी महिलाओं के दस्तावेजीकरण करवा रही हैं जिसमें ऐसे प्रकरण भी सामने आए जिसमें दो दशक बीत जाने के बाद भी महिला को सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखा गया है। ऐसे में इन फेलो के इंटरवेंशन से विभागीय हलकों में हलचल हुई है। अब तो ब्लाक/जिला स्तर पर पहचान बनने से विभागीय पहल दिखने लगी है।

वैसे तो सभी फेलोज सामाजिक सरोकार पर कुछ न कुछ कर ही रहे हैं जिससे लोगो का संवैधानिक मूल्यों को लेकर परिप्रेक्ष्य निर्माण बन पाए तथापि 4 फेलोज ने इसके लिए फोकस किया है जिसके चलते स्थानीय नेतृत्वकर्ता उभरे हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में दस्तावेज सत्यापन आदि कार्य कर रहे हैं।

आदिवासी अंचल के डूंगरपुर जिले की इंदिरा कोलोनी सागवाडा के निवासी लाल शंकर अहारी जो 35 साल से स्वामीनारायण के कारखाने में पत्थर घड़ाई का काम कर 4 बच्चों एवं पत्नी सहित अपना गुजर बसर कर रहे थे। अहारी के साथ 200 से ज्यादा मजदूर पत्थर घड़ाई का काम करते थे। इन्ही मजदूरों में से तीन मजदूरों की मृत्यु फेफड़ों से जुड़ी बीमारी के चलते हो गई जिससे वे खुद बेखबर थे कि वही बीमारी अब उन्हें भी हो चुकी है। काफी समय तक बीमार होने के बाद थोड़ा स्वास्थ्य

मे सुधार आया तो फिर काम में जुट गए लेकिन डेढ महीने बाद ही फिर बीमार हो गए जिसके चलते सागवाडा स्वास्थ्य केन्द्र पर 5 दिन भर्ती रहे परंतु स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। परिजन उन्हें मोडासा गुजरात हास्पीटल ले गए जहां 10 दिन भर्ती रहे परंतु फिर भी स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। इस पर परिजन घर लौट आए।



फेलो विजय अहारी ने शंकर लाल अहारी से संपर्क किया। पता चला कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है लगातार खाना नहीं खा पाने से वजन कम हो गया। इस पर उन्हें 5 दिवस बाद मजदूर संगठन के तत्वावधान में लगने वाले स्वास्थ्य शिविर में सिलिकोसिस जांच करवाने की सलाह परिजनों को दी। साथ ही कहा कि आप इनके साथ जन आधार कार्ड, बैंक डायरी, आधार कार्ड लेकर आए और सिलिकोसिस जांच हेतु पंजीयन करवाए परंतु फिर भी शंकर लाल अहारी स्वास्थ्य शिविर में नहीं आ पाए। पुनः संपर्क करने पर पता चला कि तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। उन्हें फिर कहा कि 10 दिन बाद पुनः स्वास्थ्य शिविर लगने वाला है उसमें जरूर आए परंतु फिर भी नहीं आ पाए तो मैंने करीब 2 बजे दूरभाष पर संपर्क किया तो उस दिन भी उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से आने में असमर्थता जाहिर की। इस पर मैं शिविर में उपस्थित ई-मित्र आपरेटर को लेकर शंकरलाल अहारी के घर गया।

उनका पंजीयन करवाया और पंजीयन उपरांत निर्धारित दिवस पर सिलिकोसिस एक्स-रे करवाया और चिकित्सक से परामर्श किया जिसमें पता चला कि सिलिकोसिस के लक्षण हैं। इसके बाद उनके फिंगर बायोमेट्रिक कर रेडियोलोजिस्ट जांच करवाने का प्रयास किया परंतु अकस्मात ही शंकरलाल अहारी का देहांत हो गया। इस पर मैं तुरंत ही परिजनों से मिला और बताया कि चिकित्सकीय जांच प्रक्रिया में रेडियोलोजिस्ट जांच लंबित है और सिलिकोसिस प्रमाणित नहीं माना जाएगा इसलिए इनका पोस्टमार्टम करवाए जिसमें पता चलेगा कि उनकी मृत्यु किस कारण से हुई है। लगातार मनाने पर परिजन इसके लिए तैयार हुए और 5 परिजनों की उपस्थिति में पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवा कर पोस्टमार्टम करवाया। जिसमें पता चला कि शंकरलाल अहारी की मृत्यु सिलिकोसिस जो फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है उसके चलते हुई है।

आदिवासी बहुल उदयपुर जिले के सुदुर कोटडा ब्लाक की ग्राम पंचायत सुलाव निवासी हिरकीबाई गरासिया स्वयं अनपढ़ रह गई परंतु अपने दो बच्चों का लालन-पालन में अपने पति गुलाराम गरासिया का हाथ बंटा रही हैं। हिरकीबाई के परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है वह आज भी एक छोटी झोंपड़ी में रहती हैं। पति गुलाराम गरासिया अपने छोटे से खेत



में खेती करता है तथा फसल कटाई के बाद आस-पड़ोस में मजदूरी भी करता है। हिम्मत ना हारने वाली हिरकीबाई जंगल से सुखी लकड़ी काट कर बाजार में बेचकर कुछ हाथ-खर्ची अर्जित करने के साथ ही पशुपालन से दूध बेचकर कुछ कमाई करने लगी है।

कुछ कर गुजरने की आस में हिरकीबाई फेलो अनिता कुमारी गरासिया के संपर्क में आई। आदिवासी विकास मंच से जुड़ी फेलो अनिता ने गांव स्तरीय बैठकों में हिरकीबाई के कौशल को पहचान लिया। धीरे-धीरे हिरकीबाई ने पहल कर मांडणा में अपनी कला का प्रदर्शन कर दिखाया। जिसमें चलते फेलो अनिता के प्रयास से 12 दिवसीय मांडणा आवासीय प्रशिक्षण में साक्षात्कार के माध्यम से प्रवेश दिलवाया। आज हिरकीबाई के हाथों के हुनर को नई पहचान तो मिली ही है साथ जनजातीय कला एवं संस्कृति को नया आयाम मिला है। इस प्रशिक्षण के बाद अब हिरकीबाई अपनी 23 आदिवासी महिलाओं के साथ मिलकर पुरे गांव को कला का केन्द्र बनाने का सपना संजोने लगी है। हिरकीबाई की तुलिका का रंग माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (टीआरआई), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर सहित विदेशी पांवणों को भी लग चुका है। उनकी बनी केनवास पेंटिंग आर्ट गैलरी तक पहुंच बनाई है जिससे आजीविका हेतु अतिरिक्त आय की संभावनाएं उभरी है।

यूं तो संवैधानिक मूल्यों पर कार्य कर रहे फेलो धनराज गरासिया का कार्यक्षेत्र फलासिया की 4 ग्राम पंचायत ही है परंतु उनके सोशल मीडिया प्लेटफार्म के चलते उदयपुर जिले की फलासिया, झाडोल, कोटडा एवं गोगुन्दा तहसील में निवास करने वाले पुरे कथोडी समुदाय तक पहुंच बनी है। उदयपुर जिला मुख्यालय से करीब 190 किलोमीटर दूर फलासिया ब्लाक की अम्बासा



ग्राम पंचायत में भी कथोडी समुदाय के लोग रहते हैं जो कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के फलक पर सहरिया जनजाति के समान ही है। यहां के लोग पेयजल की समस्या से ग्रसित थे जिस पर विकास अधिकारी एवं प्रधान पंचायत समिति को ज्ञापन देकर हैंडपंप लगवाया है।

फेलो द्वारा किए सर्वे के अनुसार करीब 51 कथोडी लोगो के आधार कार्ड ही नहीं बने हैं। जिससे इनको किसी भी प्रकार का कोई लाभ राज्य की तरफ से नहीं मिल पा रहा है इसे लेकर एक समुह जिला कलक्टर उदयपुर से भी मिला है। जिस पर कलक्टर ने शीघ्र ही विशेष शिविर लगवाकर समाधान करने हेतु आश्वत किया है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, सीसी सडक, सामुहिक कुआं निर्माण, सोलर बिजली, मां-बाडी केन्द्र, स्वास्थ्य, सामुदायिक शौचालय, खाद्य सुरक्षा से जुड़ाव आदि बुनियादी सुविधाओं के लिए ग्राम पंचायत बिरोठी, गुराड, आजरोली खास, अम्बावी, अम्बासा के स्थानीय नेतृत्वकर्ता मुकेश कथोडी के अगुवाई में कथोडी समुदाय का प्रतिनिधिमंडल विकास अधिकारी

अशोक डिंडोर एवं जनजाति मंत्री बाबुलाल खराडी से भी मिलकर अपनी व्यथा प्रभावी तौर पर रखी है। जिस पर मंत्री ने जल्द ही पुरा करने की सहमति दी है।

फेलोशिप कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में मेंटोरिंग का बहुत महत्व है। संवैधानिक मूल्यों की समझ बनाने, मूल्यों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर कार्य करने के लिए समय-समय पर संदर्भ प्रदान करने के लिए 40 फेलोज पर 08 मेंटोर का प्रावधान किया गया है। उक्त मेंटोर द्वारा अपने फेलोज के साथ वर्चुअल बैठक, टेलीफोनिक संवाद, फिल्ड विजिट के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जा रहा है।



External Evaluation -

वर्ष 2023 में आस्था की आदिवासी संदर्भ इकाई से जुड़े कार्यक्रम का External Evaluation BROT के द्वारा करवाया गया इस मूल्यांकन हेतु श्री खिलेश चतुर्वेदी एवं श्रीमती नेहा जी को मूल्यांकनकर्ता तय कर मूल्यांकन करवाया गया। मूल्यांकन के आधार पर Enhancing, Effectiveness, Efficiency, Impact, Sustainability, Strengthening Programme, Monitoring तथा आस्था की भूमिका Emerging Role के संदर्भ में मूल्यांकन के सकारात्मक पहलुओं के आधार पर Recommendation में आस्था को ब्रोड के साथ तीन फेज 9 वर्षों के कार्यों के बाद जिन गांवों में शुरू से कार्य है, ग्रामसभा स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करने लगी है उन गांवों से विद्डोल की रणनीति तय कर नये गांवों का इस कार्यक्रम के तहत जोड़ने का निर्णय किया गया। आस्था के कार्यों को मूल्यांकन में महत्वपूर्ण माना जिसमें CBOs की Independent प्रक्रिया बनाने उन्हें प्रोग्रेसिव तरीके से कार्य करने प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन का कार्य आस्था के फेसिलिटेशन की प्रक्रिया से हो पाया है। इस प्रक्रिया को सतत जारी रखने की सिफारिश की गयी है। आस्था निम्न भूमिकाएं लगातार निभाएं।

1. आस्था Knowledge partner/ technical expert की भूमिका सरकार के साथ लगातार निभाएं जिससे सरकार के साथ संवाद का स्पेस बने व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं लोगों के हित के कानूनों का क्रियान्वयन बेहतर हो सके।
2. वंचित समुदायों के लिए नीति बनाने की प्रक्रिया में आस्था लगातार सरकार के साथ संवाद बनाये रखे जिससे सामाजिक सुरक्षा व कल्याण की योजनाओं का लाभ सबसे जरूरतमंद लोगों को मिले।

3. आस्था को बदलती परिस्थिति में नयी भूमिकाएं भी लेनी होगी कुछ Pilet Programme Impliment जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने चाहिए जैसे टिकाऊ खेती, भू-संरक्षण एवं वाटर कंजरवेशन, महिला एवं लड़कियों के मददे, Woman and adolescent garls empowerment बाल मजदूरी उन्मूलन, विशेष योग्यजन के Empowerment जिनका फोकस सामाजिक बदलाव की ओर आगे जा सके।

आस्था महिला सशक्तिकरण संदर्भ इकाई के तहत एकल विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के मुद्दों पर एकल नारी शक्ति संगठन को सहयोग करती आयी है। आस्था का प्रयास है कि संगठन में अधिक से अधिक एकल महिलाएं जुड़े व उनके अधिकार हासिल करने में संगठन उन्हें सहयोग करें। महिलाएं जो संगठन से जुड़ी है परस्पर सहयोग से समस्याओं का समाधान कर सके। एकल महिलाओं की क्षमता में वृद्धि करें ताकि महिलाओं की समाज में प्रतिष्ठा व सम्मान मिले वे इज्जत के साथ जी सके।

आस्था द्वारा एकल महिलाओं के साथ तीन तरह की गतिविधियां एवं कार्यक्रम वर्ष 2023-24 में किये गये— 1. एकल नारी शक्ति संगठन को सहयोग संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में मदद, 2. महिला भूमि अधिकार के मुद्दे पर एकल एवं आदिवासी महिलाओं के साथ कार्य, 3. महिला किसान के रूप में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्य करना।

वर्ष 2023 में एकल महिलाओं के नेतृत्व को आगे लाने व नया नेतृत्व तैयार करने का कार्य आस्था के सहयोग से एकल नारी की टीम द्वारा किया गया जिसमें पंचायत स्तर की कमेटी सदस्यों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, शैक्षणिक भ्रमण ग्राम पंचायत स्तर की बैठकें, एनिमेटर की मासिक बैठके, राज्य स्तर बैठकों का आयोजन का महिला नेतृत्व क्षमता बढ़ाने का कार्य हुआ।

बहना दूज कार्यक्रम पंचायत स्तर पर ही आयोजित किये गये जिसमें एकल व अन्य दूसरी महिलाओं ने भी भाग लिया। बहना दूज कार्यक्रम सामाजिक बदलाव का बड़ा कार्यक्रम बन गया है। इसको सभी एकल महिला एवं अन्य महिलाएं धूमधाम से मनाती है इस कार्यक्रम से स्वयं मलिओं की सोच मे बदलाव आया है तथा समाज की सोच भी बदली है इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए महिलाएं जन प्रतिनिधियों, समाज के प्रतिनिधियों, दानदाताओं तक पहुंच कर सहयोग



जुटाती है। वर्ष 2023 में आचार संहिता के बावजूद महिलाओं द्वारा बहना दूज कार्यक्रम धूमधाम से मनाया व महिला मतदाता जागरूकता अभियान भी इसके साथ जोड़ा महिलाओं ने मतदान करने की प्रतिज्ञा ली। इस कार्यक्रम को 171 ग्राम पंचायतों में आयोजित किया गया जिसमें 3103 महिलाओं ने भाग लिया। जन सहयोग से 40,000 रु. प्राप्त किये एवं 1,04,050 रु. केश राशि सदस्य महिलाओं ने जुटाई गयी।

एकल नारी शक्ति संगठन में कुछ एनिमेटर पढ़े-लिखे नहीं होने से उन्हें अपने काम में समस्याएं आ रही है। इसके लिए 5 जिलों की 5 पंचायतों में 10 के समूह में यह साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया। जिसमें प्रत्येक पंचायत में 5-5 एनिमेटर महिलाएं साक्षर हुईं व 50 अन्य महिलाएं भी साक्षर हुईं। इस शिविर से महिलाएं अंक पहचानना व पढ़ने की क्षमता बढ़ी व स्वयं का आत्म विश्वास भी बढ़ा।



पंचायत स्तरीय नेतृत्वकर्ता महिलाओं के अलग-अलग विषयों पर किये गये प्रशिक्षण। 14 ब्लॉक में नये युवा महिला नेतृत्वकर्ताओं की पहचान हुई। पंचायत स्तर पर बैठकों में सहभागिता बढ़ी, कमेटी सदस्यों में स्थानीय मुद्दे उठाने की समझ बनी।

राज्य स्तर पर सरकार के साथ 13 जुलाई, 2023 को हुए संवाद में 260 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें महिलाओं की रुकी हुई पेंशन की समस्याएं रखी, जिसको मौके पर समाधान हुआ। न्यूनतम आय गारंटी कानून पारित हो पाया व पेंशन में 15 प्रतिशत गारंटीशुदा वार्षिक वृद्धि के साथ न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की बात रखी गयी।

इस वर्ष एकल नारी की आवाज न्यूज लेटर के अंक प्रकाशन हुआ जिसमें 12000 प्रतियां छपाई गयी। जिसमें महिलाओं को अधिक से अधिक जानकारियों का संकलन कर छपवाया गया, जिसमें महिला किसान जागरूकता कार्यक्रम, महिला भूमि अधिकार कार्यक्रम, राज्य स्तर नेतृत्वकर्ता बैठक की जानकारी लैंगिक समानता और समावेशीकरण प्रशिक्षण, अन्तर राष्ट्रीय एकल महिला सशक्तीकरण दिवस के आयोजन व अनुभव सफल केस स्टडी अन्य अभियानों की जानकारी आदि महत्वपूर्ण जानकारियां न्यूजलेटर द्वारा अधिक से अधिक महिलाओं को पहुंचायी गयी।

राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच 9 राज्यों के एकल नारी, राज्य संगठनों का एक संघ हैं जिसका सचिवालय आस्था में है। जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, प. बंगाल, दिल्ली एवं उत्तराखंड राज्यों ने वर्ष 2023-24 में सक्रिय रूप से मंच में जुड़ कर एकल

महिलाओं के मुद्दों को हल करने का कार्य किया है और केन्द्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की गरीब, वंचित, एकल नारी तक पहुंचाने का कार्य किया है।

मंच का राज्य स्तरीय संगठन सदस्यों की सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आपसी समन्वयक किया जाकर अनुभवों का अदान-प्रदान किया गया है और एकल महिलाओं के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे परित्यक्ता का प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, जोब कार्ड, आधार कार्ड आदि बनवाने की प्रक्रिया को सहयोग प्रदान किया है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक तौर पर एकल महिलाओं का समाज में समावेशीकरण के लिए एक दूसरे राज्यों के अनुभव से लाभ लेकर एकल महिलाओं की समाज में गरीमा बढ़ाने का कार्य किया है। इन मुद्दों का मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर परिचय करवाया है। राष्ट्रीय मंच द्वारा एकल महिलाओं के भूमि अधिकार एवं उनके नाम नामांतरण खुलवाने संबंधी जानकारियां देने हेतु वर्ष में 2 बार प्रशिक्षण आयोजित कर जानकारी प्रदान की गई तथा एक पर्चा भी प्रकाशित किया गया। एकल महिला भूमि अधिकार पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भूमि अधिकार सर्वेक्षण कार्य की योजना बनाई गई और राज्यों के सहयोग से एकल महिला भूमि अधिकार पर सर्वेक्षण कार्य मंच द्वारा किया जा रहा है। सर्वेक्षण कार्य योजना से संबंधित दिनांक 7 अगस्त एवं 17 नवम्बर, 2023 को वर्चुअल बैठक कर सर्वे की कार्य योजना प्रस्ताव तैयार किया गया।

राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार के राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा दिल्ली में दिनांक 21 से 23 दिसम्बर को 3 दिवसीय बैठक की गई। जिसमें 9 राज्यों द्वारा किए जा रहे कार्यों का आदान-प्रदान किया गया और आगे के 6 माह की कार्य योजना तैयार की गई और एकल महिला भूमि अधिकार सर्वे के लिए एक कोर समूह संध्या, सुशीला, निर्मल का तथा समन्वयन संख्या जी करेगी। कोर समूह द्वारा सर्वेक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।

बैठक में राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार समूह का एक सपोर्ट समूह गठित किया गया जिसमें सुशीला जी, संध्या जी, बिन्नी जी, निर्मल जी द्वार राठौड़, चन्द्रकांता जी सुमालता जी एवं अमिताजी द्वारा जिम्मेदारी ली गई एवं कार्य चल रहा है।

वर्ष 2021 में राष्ट्रीय मंच की बैठक दिल्ली में आयोजित करने की योजना बनाई गई है। भविष्य में राष्ट्रीय मंच की गतिविधियों का क्रियान्वयन सहयोगी समूह द्वारा किया जायेगा और राष्ट्रीय संयोजिका द्वारा समन्वयन का कार्य किया जायेगा।

आस्था का वर्ष 2023 में एकल एवं आदिवासी महिलाओं के भूमि अधिकार के मुद्दे पर दक्षिणी राजस्थान एवं राजस्थान एकल नारी शक्ति संगठन के साथ कार्य रहा।



एकल महिलाओं को अधिकतर उनके भूमि अधिकार से वंचित किया जाता है अगर बच्चे नहीं हैं तो विधवा महिला को ससुराल में टिकना भी मुश्किल होता है आदिवासी क्षेत्र में परम्परागत रूप से भी महिलाओं को भूमि अधिकार नहीं है। वन अधिकार कानून में जब कानून बन रहा था तो वनअधिकार पत्र में पति-पत्नी दोनों के नाम रखवाने का प्रावधान करवाया गया था। उसके अनुसार वन अधिकार पत्र में पति-पत्नी दोनों के नाम से अधिकार पत्र जारी होने लगे। फिर भी सरकार के अधिकारियों की मानसिकता पुरुष प्रधान एवं पुरानी है। कई जगह कानून में दोनों के प्रावधान होते हुए भी पुरुषों के नाम के अधिकार पत्र जारी किये गये। इस पर विरोध दर्ज करवाने के बाद पुनः सुधार किये गये।

आस्था को Womanity Foundation के सहयोग से महिला भूमि अधिकार पर कार्य करने का अवसर मिला इसका उद्देश्य वंचित समुदायों की महिलाओं में जागरूकता एवं क्षमता पैदा करना ताकि में अपने भूमि अधिकार प्राप्त कर सकें व अपने अधिकार की जमीन पर स्वयं का नियंत्रण कर सकें। इसके लिए आस्था महिलाओं में जागरूकता पैदा करने तथा उनके भूमि अधिकार में आने वाली बाधाओं में आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। महिला नेतृत्वकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने का कार्य कर महिला नेतृत्व के माध्यम से जानकारी अन्य महिलाओं को दिलाना ताकि महिलाएं अपने भूमि अधिकार के संबंध में जागरूक होकर अधिकार ले सकें।

आदिवासी समाज में नाता प्रथा के कारण बेटा और बहू दोनों को कस्टमरी लॉ में भूमि अधिकार नहीं दिया गया। महिलाओं को उनके भूमि अधिकार में पुलिस एवं रेवेन्यू विभाग का सहयोग भी नहीं मिल पाता समुदाय के प्रभावशाली लोगों की मानसिकता पुरुष प्रधान की होने से भी महिलाओं को भूमि अधिकार से वंचित किया जाता है महिलाओं पर हक त्याग करने का दबाव बनाया जाता है जिससे बेटियों को अपनी पैतृक भूमि में से वंचित होना पड़ता है। इसलिए आस्था द्वारा महिला भूमि अधिकार के मुद्दे पर कार्य करना तय किया।

एकल नारी शक्ति संगठन कोर टीम प्रशिक्षण कर प्रक्रिया आगे बढ़ायी। 1 प्रशिक्षण महिला भूमि अधिकार पर कार्यरत एनिमेटर्स का किया गया, 3 लिगल सेशन महिला भूमि अधिकार को लेकर किये गये। 1 राष्ट्रीय मंच सदस्या के लिए महिला भूमि अधिकार के मुद्दे पर समझ बढ़ाने का कार्य किया गया। आदिवासी संदर्भ इकाई के साथ 3 ब्लॉक लेवल कलस्टर प्रशिक्षण किये गये।

एनिमेटर एकल नारी शक्ति संगठन के साथ महिला भूमि अधिकार के संबंध में आवश्यक डॉक्यूमेंट जमाबंदी (भूमि रिकार्ड) डॉक्यूमेंट पी14 गिरदावरी, सर्जरा कैसे बनता है, जिसमें पिता की भूमि का नामांतरण बेटा बेटा व उसकी पत्नी के नाम आ सके। मोबाईल एप का उपयोग जमीन के रिकार्ड में कैसे करें, यह समझने का प्रयास किया गया। प्रशिक्षण में जमाबंदी रिकार्ड में दर्ज नामों को कैसे पढ़ना व समझना भूमि बंटवारे के पैटर्न को समझना, जमीन के खसरा नंबर से स्वयं के प्लॉट की

पहचान करना, जमीन का नाप, मेजरमंट कैसे होता है। नामांतरण के लिए सर्जरा कैसे बनाया जाता है। तथा पी 14 को कैसे समझा जाय ह सब जानकारीयां उपलब्ध करवायी गयी।

एकल नारी शक्ति संगठन के साथ 20 महिला एनिमेटर कार्यरत थे जो मासिक बैठकों का आयोजन कर महिलाओं को उनके भूमि अधिकार पर जागरूक करने का कार्य करने लगे है।

1. पांच पंचायतों में एक एनिमेटर द्वारा आयोजित बैठकों में महिला भागीदारी कुल 493 महिलाएं हैं।
2. एकल नारी शक्ति संगठन में कुल एक या दो बार मासिक बैठकों में भाग लेने वाली महिलाओं संख्या 8422
3. कुल महिला भूमि अधिकार से जुड़े केस रजिस्टर्ड हुए 263।
4. महिलाओं के नाम भूमि रूपांतरण केस हुए 79
5. एकल नारी शक्ति संगठन के द्वारा काउंसलिंग से हल किये गये केस 19।
6. जो केस सिविल कोर्ट को रेफर किये उसकी संख्या 10।
7. सरकार के कर्मचारियों पंचायत सहित उनकी संवदनशीलता बढ़ाने में कार्य किया, कुल सदस्य 128।
8. सरकारी योजनाओ से लाभान्वित महिलाओं की संख्या 2792।
9. कोर टीम को प्रशिक्षण महिला भूमि अधिकार पर 28।
10. आदिवासी महिला नेतृत्वकता 77।
11. वन प्रबन्धन समितियों की सदस्याएं 176।
12. वन प्रबन्धन प्लान तैयार किये गये 18
13. महिला भूमि अधिकार के मुद्दे पर कुल महिलाओं तक पहुंच 3302।
14. वन अधिकार के लिए पुनः आवेदन करने वाले परिवार 120।

आस्था संस्थान महिला संदर्भ इकाई के माध्यम से राजस्थान के 13 जिलों के 17 ब्लॉक की 34 पंचायतों की 578 महिलाओं के साथ महिला किसान की पहचान हासिल करने महिला किसानों को अपनी आजीविका संवर्धन पर्यावरण संरक्षण बेहतर स्वास्थ्य के लिए रसायनिक खाद बीज दवाई को बंद करना व जैविक खेती का बढ़ावा देना, किचन गार्डन नर्सरी लगाना, देशी खाद वर्मी कम्पोस्ट बनाने जीवामृत निमास्त आदि से कीट नाशक नियंत्रण करने जैसे प्रयोग शुरू हुए है। महिलाओं के मुद्दों से संगठन को मजबूत करने के कार्य महिला किसान और जैविक खेती को बढ़ावा देने जैसे प्रयोग शुरू किये। फलदार एवं औषधिय पौधे लगान का कार्य वन विभाग के सहयोग से 110 महिलाओं ने 550 फलदार पौधे लगाये 13 ब्लॉक की 278 महिलाओं ने किचन गार्डन में सब्जियां उगाकर अपने परिवार के पोषण का कार्य किया।

उपरोक्त कार्यो में प्रत्येक पंचायत स्तर पर महिला समूहों की प्रत्येक माह बैठकें आयोजित की जाती है जिसमें महिला समूहों के साथ आयोजना की जाती है।

पंचायत स्तर के समूहों से प्रत्येक पंचायत से 2-2 महिला किसान नेतृत्वकर्ताओं का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें 35 महिला किसान प्रतिनिधियों की भागीदारी हुई।

महिला किसान चयनित महिलाओं का जैविक कृषि, नर्सरी, पशुपालन, बीज संरक्षण, देशी खाद, जैविक कीट नियंत्रण आदि बनाने के प्रशिक्षण किये जिसमें 322 महिला किसानों को प्रशिक्षित किया। इसी तरह महिला किसान सम्मेलन भीलवाड़ा में हुआ उसमें 150 महिलाओं ने भाग लिया, महिला किसान दिवस में 30 पंचायतों एवं 1 ब्लॉक 810 महिलाओं ने भागीदारी निभाई।



1. 225 महिला किसानों ने रसायनों का प्रयोग बंद किया।
2. 225 महिला किसानों ने घर पर किचन गार्डन तैयार किया।
3. 130 महिलाओं ने मौसमी सब्जियों का उपयोग क पश्चात बाजार में बेचकर अपनी आमदनी बढ़ायी।

उपरोक्त कार्यो से महिलाओं को महिला किसान की पहचान मिली एवं जैविक खेती के कार्य से उन्हें अनाज सब्जियां फल आदि बेहतर स्वास्थ्य के लिए लाभ मिला एवं संगठन से मजबूती मिली।

बालूबाई के पति का निधन 5 वर्ष पहले सिलोकोसिस बीमारी की वजह से हुआ। 4 बच्चों की मां पर परिवार चलाने की जिम्मेदारी आ गई। एकल नारी शक्ति संगठन की बैठकों में आने से जानकारी मिलने के साथ ही आत्मविश्वास भी आने लगा। किसानी प्रयोग कार्यक्रम में रुचि होने के कारण घरट में आयोजित होने वाली महिला किसान की मासिक बैठकों में नियमित रूप से भागीदारी करने लगी। जिससे जैविक कृषि के लाभ और विधि को समझा। आस्था द्वारा आयोजित नेतृत्वकर्ता प्रशिक्षण व जैविक कृषि प्रशिक्षणों में भागीदारी करने से बालू बाई पंचायत स्तर की बैठकों में नेतृत्व करने लगी। कोटा गोयल ग्रामीण विकास संस्थान से जैविक कृषि का प्रशिक्षण लेने के बाद स्वयं अपने खेतों पर प्रयोग

शुरू किये जिसमें वर्मी कम्पोस्ट बनाना, देशीखाद तैयार करना, कीट नियंत्रण के लिए कीट नियंत्रण घोल बनाकर सब्जियों पर छिड़काव करने जैसे प्रयोग स्वयं ही किये व समूह की महिलाओं को भी प्रेरित किया।

बालू बाई के खेत किनारे 6 वर्ष का अमरुद का पौधा फल नहीं दे रहा था फूल आते और झड़ जाते। बालू बाई ने कोटा प्रशिक्षण में इस तरह की समस्याओं पर जानकारी प्राप्त हुई थी। बालू बाई ने इसे अपने अमरुद के पौधे पर अपनाया जिससे 2 माह में फूल से फल बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई और 3 माह में फल लगने लग गये। बालू बाई जैविक तरिके से ही सब्जियां और अनाज उत्पन्न करती है। इससे परिवार को पोष्टिक भोजन फल व सब्जियां मिलने लगी। इससे घर पर बच्चे कम बीमार पड़ते हैं और वह स्वयं भी पहले से अधिक स्वस्थ रहने लगी है। पंचायत स्तर पर बैठकों में नेतृत्व करने के कारण बालू बाई की पहचान बनने लगी है। गांव में बालू बाई की बात को महत्व दिया जाता है। स्थानीय प्रशासन से बालू बाई महिलाओं को सरकारी सुविधाएं दिलाने हेतु संवाद कर समस्या समाधान करती है। इस महिला किसान कार्यक्रम से जुड़ने के बाद बालूबाई आज बेहतर जीवन जी रही है। सरकारी सुविधाएं मिलने लगी है साथ ही जैविक कृषि अपनाने से बेहतर स्वास्थ्य के साथ अतिरिक्त आय भी होने लगी है।

आस्था की समस्त गतिविधियों को सही विधिवत संचालित करने में आस्था सपोर्ट यूनिट की बड़ी भूमिका है जो प्रशासनिक सपोर्ट के साथ आवश्यक भौतिक व्यवहार पूर्ण करने में सहयोग दिया जाता है। यह यूटि आस्था के मुख्य कार्यालय उदयपुर से सहयोग करती है। इस यूनिट में लेखा शाखा कंप्यूटर सेक्शन एवं सपोर्ट स्टाफ के द्वारा आवश्यक सहयोग दिया जाता है। यह सहयोग क्षेत्र के कार्यक्रमों एवं व्यवस्थाओं के साथ लेखा कार्य से जुड़े होते हैं।

आस्था की समस्त गतिविधियों के संचालन में लेखा कार्यों का बड़ा महत्व है वर्तमान परिस्थिति में लेखा कार्यों सफ.सी. एवं लेकल फण्ड उपयोग, उनका व्यवस्थित रिकार्ड, अकाउंट मेन्यूल् के हिसाब से रखना। समय पर डेटूडे का लेखा रखना व आवश्यकतानुसार फाईनैस रिपोर्ट तैयार करना। प्रत्येक तीन माह में सरकार को जाने वाली रिपोर्ट भिजवाना, वार्षिक रिटर्न समय पर भरने इंकम टैक्स रिटर्न भरना व जमा करवाना, दानदात्री संस्था को 6 माही व वार्षिक वित्तिय रिपोर्ट ऑडिट तैयार करवाना व ऑडिटर के साथ चर्चा करना दानदात्री संस्थाओं को मैनेजमेंट लेटर तैयार करवाकर भिजवाना, प्रमुख कार्य है, जो लेखा शाखा की टीम करती है।

किसी भी संस्था की छवि उसके वित्तिय प्रबंधन पारदर्शिता से बनती है। आस्था का शुरू से प्रयास रहा है कि दानदात्री संस्था से लिये गये फण्ड का सही उपयोग हो यह पब्लिक मनी है। आस्था का अब तक का रिकार्ड है कि आस्था ने पूरी ईमानदारी से जवाबदेही निभाते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के लिए फण्ड का सही व उसी काम के लिए उपयोग किया है। आस्था दानदात्री संस्था के लिए आवश्यकतानुसार रिपोर्ट

बनाकर भेजती है। पूरी संस्था की ऑडिट रिपोर्ट जिसमें आस्था के ऐसेट्स कोरपस रिजर्व फण्ड व वर्ष भर में प्राप्त राशि व व्यय राशि का पारदर्शी अकाउंट मेंटन किया जाता है। आस्था के वार्षिक ऑडिट अकाउंट कार्यकारिणी में रखे जाते हैं तथा कार्यकारिणी के अनुमोदन के बाद साधारण सभा में ऑडिट रिपोर्ट पास करवायी जाती है।

आस्था का कंप्यूटर सेक्शन डेटूडे के कार्यों, पत्राचार कार्यक्रम, रिपोर्ट, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, न्यूजलेटर बनाना, पब्लिकेशन, बुकलेट, पेम्फलेट, सर्वे रिपोर्ट आदि कार्यों में टाईपिंग एवं रिकार्ड को कंप्यूटराईज कर सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निभाता है।

HR यह सेक्शन आस्था संस्थान के सभी तरह के रिकार्ड, फाईल, रिपोर्ट कार्यकर्ता का व्यक्तिगत रिकार्ड आस्था के ऐसेट का रिकार्ड, संस्थागत पोलिसी को व्यवस्थित व सुरक्षित रखने का कार्य करता है। आस्था साधारण सभा कार्यकारिणी बैठकों की रिपोर्ट व्यवस्थित रखना, आस्था की नियमावली नियम के डॉक्यूमेंट को रखना व आस्था के संचालन में मदद करने के कार्य करता है।

आस्था प्रशिक्षण केन्द्र, बेदला में प्रशिक्षण एवं विभिन्न संस्थाओं के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए एक फैसिलिटी व्यवस्था है जहां आवासीय प्रशिक्षण के आयोजन किये जाते हैं। बैठकों का आयोजन होता है ये आयोजन राजस्थान एवं देश की संस्थाएं करती हैं। सरकारी विभाग शिक्षा विभाग भी प्रशिक्षणों का कार्यक्रम करते हैं तथा आस्था संस्थान अपने वार्षिक आयोजना अनुसार बैठकों प्रशिक्षण के कार्यक्रम करती हैं।

प्रशिक्षण केन्द्र पर आवासीय व्यवस्थाएं आस्था के प्रशिक्षण केन्द्र सहायक द्वारा मैनेज की जाती हैं। प्रशिक्षणों में भोजन की व्यवस्था कांटेक्ट पर दी गयी है। जो भोजन चाय-नाश्ता उपलब्ध करवाता है। आस्था प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्थाएं गरीबों, वंचित समुदायों के लिए हैं। यह लाभ अर्जित करने की नहीं है। इसलिए आस्था प्रशिक्षण केन्द्र अन्य जगहों से काफी कम खर्च पर प्रशिक्षण व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाता है।

वर्ष 2023 में भी आस्था प्रशिक्षण केन्द्र महिलाओं के शिविर प्रशिक्षण नेतृत्वकर्ता प्रशिक्षण, बाहर की संस्थाओं की कार्यशालाएं बैठकें आदि का आयोजन हुआ है। लगातार प्रशिक्षण स्वैच्छिक संस्थाओं को सुविधाएं उपलब्ध करवाता है पूरे वर्ष भर में कुल 137 प्रशिक्षण बाहरी संस्थाओं द्वारा किये गये जिसमें 4359 लोगों की भागीदारी रही। आस्था संस्थान द्वारा आयोजित कुल 71 कार्यक्रम जिसमें 2338 लोगों की भागीदारी रही।

आस्था प्रशिक्षण केन्द्र स्व:निर्भर कैसे बने यह एक चुनौति है इस पर आस्था में मंथन चल रहा है। आगे इस केन्द्र का खर्च यहीं से पूर्ण हो यह सोचा जा रहा है।

Planning, Monitoring and Evaluation — आस्था के सभी कार्यक्रमों की मोनिटरिंग सही समय पर हो, समय पर मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी हो जिसमें कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति हो सके उसमें आवश्यक बदलाव किया जा सके। आस्था के मुख्य कार्यालय स्तर पर

पीएमई यूनिट की भूमिका संस्थागत डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट लेखन एवं दानदात्री संस्थाओं को भेजी जाने वाली प्रगति रिपोर्ट सही समय पर भेजी जा सके। पीएमई यूनिट की व्यवस्था आस्था में संस्थागत स्तर पर देखी गयी, जहां पर सभी कार्यक्रमों के लिये आवश्यक मोनिटरिंग की जा सके, यूनिट की भूमिका फिल्ड से डाटा एवं रिपोर्ट मंगवाकर उसका समुचित तरीकें से विश्लेषण करना व कार्यक्रम के आउटकम और इम्पेक्ट को देखना ताकि उसमें आवश्यक बदलाव/सुझाव दिये जा सके, जिससे क्षेत्र के कार्यकर्ता व समुदाय भी कार्यक्रम के मुख्य उद्देय के प्रति सचेत हो सके। आस्था ने सीनियर कार्यकर्ताओं की एक टीम बनायी है जो आउटकम अम्पेक्ट मोनिटरिंग हेतु सेम्पल फिल्ड विजिट कर कार्यक्रमों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जाये इस संबंध में फिल्ड टीम को फिड बैक भी दिया जाता है। तथा मोनिटरिंग की व्यवस्था फिल्ड स्तर पर कैसे मजबूत हो इसके तरीकों की समझ फिल्ड कार्यकर्ताओं को बने इसके लिए प्रशिक्षण के आयोजन करना व फिल्ड में जाकर स्थिति का विश्लेषण करना पीएमई इकाई की भूमिका में देखा जाता है।

1.	अनु वर्मा	अध्यक्ष
2.	भंवरसिंह चदाणा	सचिव
3.	अश्वनी पालीवाल	सदस्य
4.	आर.डी. व्यास	सदस्य
5.	सोफिया लतिफ	सदस्य
6.	सन्ध्या गौतम	सदस्य
7.	एकता चन्दा	सदस्य

1.	अनु वर्मा	अध्यक्ष
2.	भंवरसिंह चदाणा	सचिव
3.	अश्वनी पालीवाल	सदस्य
4.	आर.डी. व्यास	सदस्य
5.	सोफिया लतिफ	सदस्य
6.	सन्ध्या गौतम	सदस्य
7.	एकता चन्दा	सदस्य
8.	डॉ. जिनी श्रीवास्तव	सदस्य
9.	सियोन कोन्गारी	सदस्य
10.	सहजल दाण्ड	सदस्य
11.	पारूल चौधरी	सदस्य

ASTHA Sansthan
39, Kharol Colony
Udaipur - 313 004, Rajasthan, India
Ph.- +91 0294 245 1348, 245 1391
Email: astha39@gmail.com
Website: www.astha.ngo